न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/122 **दायरा दिनांक : 25.07.2022**

उनवान

1– देवा आत्मज बल्देव, जाति मीणा (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
1/1– कालू लाल आत्मज देवा जी, आयु 50 वर्ष, जाति मीणा
1/2– कल्याणी बाई पुत्री देवा जी पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा
1/3– भूराबाई पुत्री देवा जी पत्नी बाबूलाल जी, जाति मीणा
1/4– गायत्री पुत्री देवा जी पत्नी जगदीश, जाति मीणा
निवासीगण ग्राम कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम प्रकाश नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 13.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 136/दावा/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार अकलेरा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कोटडा जागीर संवत 2065–2068 के खाता सं. 230 की खसरा नं. 820 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा आराजी देवा पुत्र बल्देव मीणा की गैर खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 से वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं डिक्री विधि न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट्स के पिता देवा आत्मज बल्देव के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता को ना तो कोई नोटिस ही जारी किया और ना कोई नोटिस ही अपीलांट के पिता को प्राप्त हुआ है, किन्तु फिर भी विधि के प्रावधानों के विपरीत तामील होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ग्राम कोटडा जागीर स्थित आराजी खसरा नं. 820 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा अपीलांट के पिता के गैर खातेदारी में दर्ज थी जिस पर जीवन पर्यन्त काबिज होकर काश्त करते रहे उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट्स एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त तथ्य रेस्पोडेंट की जानकारी में होने के बावजूद भी मिली भगत कर दावा डिक्री करवा लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और ना ही कोई तनकीयात ही कायम की है। साथ ही दस्तावेज भी प्रदर्शित नहीं करवाये गये हैं किन्तु फिर भी दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वर्णित आराजी अपीलांट के पिता को आवंटित की गई और बाद आवंटन आराजी गैर खातेदारी में दर्ज की गई। उक्त तथ्य रिकार्ड पर होने के बावजूद भी दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट को ना तो कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ और ना ही अधीनस्थ न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार और क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु फिर भी दावा डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.06.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम कोटडा जागीर स्थित आराजी खसरा नं. 820 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा देवा को अलोट हुई थी। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता देवा के गैरखातेदारी में दर्ज थी। देवा ने मेहनत करके वादग्रस्त आराजी का काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी 1966–1986 में सैटलमेंट ने गैर खातेदारी में दर्ज की। संवत 2019–2022 की सैटलमेंट जमाबंदी के अनुसार गांव कोटडा जागीर में कोई गैर खातेदारी का अधिकार नहीं था। पूर्व में इसी दावे की न्यायालय हाजा द्वारा अपील सं. 140/2016 दर्ज कर निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2018 पारित कर अपील को खारिज किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार अकलेरा (भूमिधारक) द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा के माल में संवत 2065–2068 में खाता सं. 230 की खसरा नं. 820 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा देवा पुत्र बल्देव मीणा के गैर खातेदारी में दर्ज है। यह आराजी सम्वत 2019–2022 में सैटलमेंट से पूर्व अप्रार्थी के गैरखातेदारी के रूप में दर्ज नहीं है। उक्त आराजी में देवा पुत्र बल्देव का नाम बिना किसी आधार के सैटलमेंट विभाग द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो नियम विरूद्ध है। अतः उक्त आराजी को पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 से वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडा जागीर, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 230 की खसरा नं. 830 रकबा 11.11 बीघा आराजी को सिवायचक (खाता सरकार) दर्ज कर कब्जा राज लिया जावे तथा काश्त आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने का निर्णय पारित किया है। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर कालू पुत्र देवा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा प्रकरण संख्या 140/2016 से दिनांक 04.08.2016 को न्यायालय हाजा में अपील पेश की। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.01.2018 से अपील अपीलांट सारहीन होने और गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज की गयी।

देवा के वारिसान की ओर से दिनांक 25.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2011 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पुनः अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 140/2016 बउनवान कालू आत्मज देवा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 के अवलोकन से यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.06.2011 के विरूद्ध पूर्व में न्यायालय हाजा में अपील संख्या 140/2016 से दिनांक 04.08.2016 को अपील दायर की गई थी। इस अपील में न्यायालय हाजा द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 23.01.2018 से अपील अपीलांट सारहीन होने और गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज करते हुए पत्रावली का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2011 के विरूद्ध पुनः इसी न्यायालय में अपील पेश करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट विधिक रूप से बाधित होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/02/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा